न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 133/2016

CIS Reg. No. – **CRI. CASE/1290/2016**

CNR No. : **RJJH020002792016**

राजस्थान राज्य बनाम तेजपाल सिंह नूनियां वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 27/2013, पुलिस थाना नवलगढ

अपराध अन्तर्गत धाराः 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	अंजु देवी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी वार्ड नम्बर 3 सरावगीयों की बगीची पिलानी, हाल आबाद नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. तेजपाल सिंह नूनियां पुत्र स्व. प्रहलादराय, (**दिनांक 02.11.2019 को कार्यवाही उपशमनित**) 2. महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 3. सुरेन्द्र सिंह नूनियां पुत्र स्व. प्रहलादराय, निवासीगण नूनियां गोठड़ा, थाना बगड़, जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर बी 122 गंगासागर कॉलोनी, वैशाली नगर, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर शहर (राज.) **(दिनांक 31.08.2021 को कार्यवाही उपशमनित)**
राज्य की ओर से	श्री राजपाल महला, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार	श्री अशोक कुमार शर्मा

B

अपराध की दिनांक	15.12.2008

प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	11.01.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	28.01.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	02.08.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	27.01.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.03.2026
निर्णय दिनांक	25.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	--

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	महेश कुमार	21.11.2015	15.06.2020	420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता 3/4,5,6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978	दोषमुक्त	--	--

<u>भाग-द्वितीय</u>
<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची</u>

अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू. 1	रणवीर	ताईद फर्द जब्ती सदस्य सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्राप्ति रसीद प्रिया होम स्टडी प्रा.लि.प्रिया परिवार बोण्ड
पी.डब्ल्यू. 2	पितरपाल	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 3	पूनम देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 4	सुमन देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 5	अंकित	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 6	मनोहरलाल शर्मा	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 7	किशोर देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 8	शीशराम	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 9	विजय सिंह	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी

पी.डब्ल्यू. 10	रमाकांत	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 11	खेमचन्द	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डबल्यू 12	सुरेन्द्र कुमार	ताईद फर्द जब्ती सदस्य सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्राप्ति रसीद प्रिया होम स्टडी प्रा.लि.प्रिया परिवार बोण्ड
पी.डब्ल्यू 13	बनारसी देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 14	दिनेश कुमार	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डबल्यू 15	मायावती	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डबल्यू 16	अंजु शर्मा	ताईद एफआईआर व बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डबल्यू 17	सौरभ शर्मा	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डबल्यू 18	गणेश नाथ	ताईद तफ्तीश
पी.डबल्यू 19	दरिया सिंह	ताईद फर्द जब्ती सदस्य सुरक्षा प्रमाणपत्र, प्राप्ति रसीद प्रिया होम स्टडी प्रा.लि.प्रिया परिवार बोण्ड
पी.डबल्यू 20	भंवरलाल सिसोदिया	ताईद तफ्तीश

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द जब्ती 3 असल बॉण्ड
02	प्रदर्श पी 02	गवाह पितरपाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
03	प्रदर्श पी 03	गवाह अंकित कुमार के बयान धारा 161 सीआरपीसी
04	प्रदर्श पी 04	गवाह मनोहरलाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
05	प्रदर्श पी 05 व 06	मूल बॉण्ड क्रमशः विजयसिंह व अनिता देवी
06	प्रदर्श पी 05 ए	गवाह शीशराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी

07	प्रदर्श पी 07	मूल बॉण्ड सोनम
08	प्रदर्श पी 08	मूल बॉण्ड रोहित
09	प्रदर्श पी 09	मूल बॉण्ड बनारसी दैव
10	प्रदर्श पी 10	मूल बॉण्ड रौनक
11	प्रदर्श पी 11	मूल बॉण्ड विजयसिंह
12	प्रदर्श पी 12	मूल बॉण्ड रोहित कुमार
13	प्रदर्श पी 13	मूल बॉण्ड अनिता देवी
14	प्रदर्श पी 14	मूल बॉण्ड रौनक
15	प्रदर्श पी 15	मूल बॉण्ड सोनम
16	प्रदर्श पी 16	गवाह रमाकांत के बयान धारा 161 सीआरपीसी
17	प्रदर्श पी 17	फर्द जब्ती सीडी
18	प्रदर्श पी 18	गवाह बनारसी देवी के बयान धारा 161 सीआरपीसी
19	प्रदर्श पी 19	गवाह दिनेश कुमार
20	प्रदर्श पी 20	परिवाद
21	प्रदर्श पी 21	चाक एफआईआर
22	प्रदर्श पी 22	गवाह अंजु शर्मा के बयान धारा 161 सीआरपीसी
23	प्रदर्श पी 23 लगायत 25	तीन बॉण्ड
24	प्रदर्श पी 26	गवाह सौरभ के बयान धारा 161 सीआरपीसी
25	प्रदर्श पी 27	रसीद प्रिया होम स्टडी प्रा.लि.
26	प्रदर्श पी 28 लगायत 33	नोटिस अन्तर्गत धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता
27	प्रदर्श पी 34	नोटिस क्रमांक 1007–09 दिनांक 21.04.2014
28	प्रदर्श पी 35 व 36	मैमोरेण्डम
29	प्रदर्श पी 37	अध्ययन केन्द्रो की सूची
30	प्रदर्श पी 38	एडमिशन रिकॉर्ड
31	प्रदर्श पी 39	विधान एवं नियमावली प्रिया वर्किंग कमेटी
32	प्रदर्श पी 40	इन्फ्रास्ट्रक्चर
33	प्रदर्श पी 41	संस्था गतिविधि दस्तोवज
34	प्रदर्श पी 42	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम तेजपाल सिंह
35	प्रदर्श पी 43	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम महेश कुमार

नोटः– पत्रावली में सहवन से दस्तावेजात मूल बॉण्ड विजय सिंह एवं गवाह शीशराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी पर एक ही प्रदर्श क्रमांक पी. 05 अंकित किया जा चुका है। इस आदेश में सुविधा की दृष्टि से गवाह शीशराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी को प्रदर्श पी. 05 ए पढ़ा जावेगा।

Authenticated Document

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	--	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	--	--

–निर्णय–

दिनांक – 25 मार्च, 2026

1. प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त तेजपाल एवं सुरेंद्र की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 02.11.2019 एवं 31.08.2021 को दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है। प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.01.2013 को परिवादिया अंजु देवी ने विपक्षीगण महेश कुमार, महिपाल, तेजपाल, सुरेन्द्र नूनिया, महेश नूनिया के विरूद्ध एक परिवाद न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अभियुक्तगण 1 लगायत 5 ने प्रिया होम स्टडी प्रा.लि. झुंझुनू के नाम से संस्था कर रखी है जिसमें लोगों को बहका कर अधिक धन का लालच देकर रूपये ऐंठने का कारोबार कर रखा है। संस्था का चेयरमैन अभियुक्त नंबर 3 तेजपाल नूनियां है तथा संस्था का निदेशक अभियुक्त नंबर 4 सुरेंद्र नूनियां है तथा झुन्झुनूं आफिस की देखरेख अभियुक्त नंबर 5 महेश नूनियां करता है तथा अभियुक्त नंबर 1 महेश कुमार व 2 महीपाल कस्बा नवलगढ की ऑफिस सम्भालते है। दिनांक 15.12.2008 को प्रार्थीया अपने घर पर अकेली थी। प्रार्थीया का पति बाहर गया हुआ था तब अभियुक्त नंबर 1 व 2 प्रार्थीया के पास आये तथा उन्होंने प्रार्थीया को धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर कहा कि उनकी

एक मल्टी लेबल कंपनी है जिसकी मुख्य्य ऑफिस झुन्झुनूं में है जिसमें अगर 11,800/– रूपये लगाकर सदस्य प्रिया परिवार में बन जाओ तो आपको ग्रोथ के हिसाब से करीब 3 वर्ष 6 माह में 60,000/– रूपये मिलेंगे और अगर अपने दो बच्चों के भी 11,800/– रूपये के हिसाब से इस कंपनी में जमा करवाकर उनको भी सदस्य बना दो तो प्रत्येक को 3 वर्ष 6 माह में कुल एक लाख अस्सी हजार रूपये मिलेंगे तथा अगर एक ही दिन में तीन सदस्य बनाते हो तो आपको इन 1,80,000/–रूपये के अलावा 60,000/– रूपये अलग से मिलेंगे। इस प्रकार अभियुक्त नंबर 1 व 2 ने प्रार्थीया को बहका कर लालच देकर गुमराह कर 11,800/– स्वयं के, तथा 11,800/– रूपये उसके बच्चे के व 11,800 /– रूपये दूसरे बच्चे के कुल 35,400/– रूपये झांसा देकर महेश ने रूपये प्राप्त कर लिये। जिसकी रसीद महिपाल ने काट कर प्रार्थीया को दे दी। उसके बाद अभियुक्त नंबर 1 व 2 ने पैसे लेकर रसीद प्रार्थीया को दे दी तथा अभियुक्त नंबर 3 लगायत 5 ने अपने हस्ताक्षर करके बॉण्ड प्रार्थीया को भेज दिये। उसके बाद प्रार्थीया को ना तो अभियुक्तगण ने 2,40,000/– रूपये दिये तथा धोखाधड़ी करके 35,400/– रूपये हड़प लिये। उसके बाद अभियुक्तगण ने अपनी ऑफिस भी बंद कर दी तथा यहां से भाग गये। फिर एक बार 10–15 दिन पूर्व प्रार्थीया को अभियुक्त नंबर 1 व 2 नवलगढ में मिले तो प्रार्थीया ने कहा कि उसके रूपये वापिस लौटावो तो इन लोगों ने रूपये लौटाने से इंकार कर दिया तथा कहा कि तुम्हारी मर्जी आये सो करो, वे रूपये नहीं लौटायेगे। उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, नवलगढ़ को भिजवाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27/2013 अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण तेजपाल सिंह नूनियां, सुरेन्द्र सिंह नूनियां एवं महेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में न्यायालय में पेश किया गया।

3. पत्रावली श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं के आदेशानुसार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ से अंतरित होकर दिनांक 05.03.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. अभियुक्तगण तेजपाल सिंह नूनियां, सुरेन्द्र सिंह नूनियां एवं महेश कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

7. प्रकरण में विचारण के दौरान परिवादी अंजू देवी ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना जाहिर करते हुए अभियुक्त महेश कुमार के साथ राजीनामा अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पेश किया जो तस्दीक किया गया।

8. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करते हुए कथन किया कि कम्पनी विशुद्ध रूप से ऑनलाईन प्रशिक्षण का कार्य करती थी। निवेश के लिए कभी किसी से कोई राशि नहीं ली गई तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

9. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

10. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध

आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

11. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त का नाम प्रकरण में गलत रूप से जोड़ा गया है। परिवादिया ने परिवाद प्रदर्श पी. 01 में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई तथ्य दर्शित नहीं किए हैं एवं न ही अपने सशपथ कथनों में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई कथन किए हैं। प्रकरण की परिवादिया पक्षद्रोही घोषित हुई है। प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। अन्य अभियोजन गवाहान ने अभियुक्त महेश कुमार के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। कम्पनी को किसी रूप में अभियुक्त नही माना है। बिना कम्पनी को अभियुक्त माने केवल मात्र निदेशक होने के आधार पर किसी को दोषी नही माना जा सकता है। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

12. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 15.12.2008 को मौजा नवलगढ़ में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में कुल 35,400/– रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया?

2. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन

स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया?

3. यदि, हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

13. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विवेचन किया जा रहा है।

–प्रारम्भिक पृष्ठभूमि–

14. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी का प्रारम्भ परिवाद प्रदर्श पी. 01 से होता है, जिसमें परिवादिया ने अभियुक्तगण द्वारा प्रिया होम स्टडी प्रा.लि.झुंझुनूं नाम से संस्था किये होने, दिनांक 15.12.2008 को अभियुक्त संख्या 1 व 2 उसके घर आने व प्रिया परिवार कम्पनी में पैसे निवेश करने पर तरह–तरह के लाभांश मिलने की कहने पर परिवादिया से स्वयं एवं अपने दो बच्चों के नाम कुल 35,400/– रूपये प्राप्त कर लेने, रसीद महिपाल द्वारा दिए जाने, बॉण्ड दिए जाने, अभियुक्तगण द्वारा ऑफिस बंद किए जाने, प्रार्थीया द्वारा पैसे मांगने पर नहीं देने पर परिवाद पेश किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना है।

–अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण–

15. अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादिया अंजू शर्मा न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 16 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ न्यायालय बयानों में सन् 2008 में झुंझुनूं में प्रिया परिवार कम्पनी के निदेशक के बारे में जानकारी नहीं होने व रूपये जमा करवाने बाबत भी जानकारी नहीं होने की साक्ष्य दी है। इस प्रकार परिवादिया द्वारा अभियोजन वृतांत का अंशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है और परिवादिया पक्षद्रोही

घोषित हुई है। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 02 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 05 अंकित, पी.डब्ल्यू. 06 मनोहर लाल शर्मा, पी.डब्ल्यू. 08 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 10 रमाकांत, पी.डब्ल्यू. 13 बनारसी, पी.डब्ल्यू. 14 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 17 सौरभ शर्मा भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। प्रकरण में औपचारिक प्रकृति के गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 रणवीर एवं पी.डब्ल्यू. 19 दरिया सिंह ने अनुसंधान के दौरान बॉण्ड जब्त किए जाने के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 सुरेंद्र कुमार ने सीडी जब्त किए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 03 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 04 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 07 किशोर देवी एवं पी.डब्ल्यू. 15 मायावती ने अपने सशपथ बयानों में एक दूसरे के अनुरूप कथन करते हुए प्रिया परिवार कम्पनी में राशि जमा कराए जाने और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राशि नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए गए हैं।

16. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 09 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू. 11 खेमचंद ने अपने सशपथ कथनों में सारतः एक दूसरे के अनुरूप ही कथन करते हुए प्रिया परिवार के एजेंण्ट से परिवार के सदस्यों के नाम पर 6800/– रूपये या भिन्न राशि के बॉण्ड खरीदे जाने, कुछ समय बाद लाभांश मिलने, समय पूर्ण होने के बाद भी उन्हें उनकी मूल रकम नहीं लौटाने, ना ही कोई लाभांश या रूपये देने तथा उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके रूपये हड़प लेने के संबंध में कथन किए हैं। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 18 गणेश नाथ एवं पी.डब्ल्यू. 20 भंवरलाल सिसोदिया प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं, जिन्होंने अनुसंधान बाबत की गई सिलसिलेवार कार्यवाही बाबत साक्ष्य दी है।

–धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का साथ साथ कारित होना–

17. प्रकरण में परिवादिया की ओर से पेश परिवाद पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह

आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या विरत करने के लिए प्रवंचित किया जाता है तो वहां छल कारित करने का अपराध घटित होता है और उस छल के अग्रसर में किसी सम्पति का आदान प्रदान होता है तो वहां छल कारित कर सम्पति प्राप्त किए जाने के रूप में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जिस राशि के दुर्विनियोग का आरोप है व राशि संबंधित व्यक्ति के पास विधिवत रूप से कब्जे में प्राप्त हुई हो और विधिवत रूप कब्जे में प्राप्त होने के पश्चात उस राशि का उस व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया हो। धारा 420 व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व परस्पर एक दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभ से ही प्रवंचित किया गया हो, वहां उस व्यक्ति के पास उस सम्पति का विधिवत कब्जा नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को विधिवत कब्जा दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभ से प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य समाहित नहीं होगा। दोनों अपराधों के आवश्यक तत्वों के अनुसार किसी भी रूप में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व एक ही घटना के संबंध में परस्पर समान रूप से एक साथ घटित नहीं हो सकते। न्यायिक विनिश्चय **Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Anr. 2024 INSC 626** के मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है किः–

> 27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under

Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के अनुसार धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किसी भी रूप में एक साथ होने योग्य नहीं है। अभियुक्त पर धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दोनों अपराधों के करने का आरोप हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 या 406 भारतीय दण्ड संहिता में से कौन से अपराध के तत्व साबित है या नहीं, इस संबंध में निर्णय के अग्रेतर भाग में पृथक–पृथक विवेचन किया जा रहा है।

– अभियुक्त द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किए जाने का तथ्य–

19. प्रकरण में परिवादिया एवं अभियुक्त महेश कुमार के मध्य राजीनामा हो चुका है, वहां परिवादिया के संबंध में प्रवंचना संबंधी तथ्य प्रासंगिक नही है। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 03 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 04 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 07 किशोर देवी एवं पी.डब्ल्यू. 15 मायावती ने अपने सशपथ बयानों में एक दूसरे के अनुरूप कथन करते हुए प्रिया परिवार कम्पनी में राशि जमा कराए जाने और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राशि नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए गए हैं, लेकिन जिरह में उक्त गवाहान ने कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने व कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करने के तथ्यों को स्पष्टता के साथ स्वीकार करती हैं। इन गवाहान की ओर से अपनी जिरह में कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने और कम्पनी द्वारा उनके साथ कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करने के तथ्य के स्वीकार किये जाने से यह तथ्य अपने आप में स्वीकार योग्य नही रह जाता है कि इनकों अभियुक्त द्वारा किसी रूप में प्रवंचित किया हो। केवल मात्र राशि कम्पनी में जमा कराए जाने के तथ्य के आधार पर किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार या इनके जरिए कोई अन्य व्यक्ति द्वारा गवाहान के

साथ प्रवंचना कारित होना साबित हुआ नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिसके आधार पर यह तथ्य साबित हो सके कि गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई गई है। यदि वास्तविक रूप से गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई जाती तो राशि जमा करवाए जाने के संबंध में गवाहान की ओर से अवश्य ही कोई रसीद आदि पेश की जाती, जो कि गवाहान की ओर से पेश नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान को प्रवंचना दी जाकर कोई राशि प्राप्त की गई हो ऐसा कोई भी तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

20. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 09 विजय सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 11 खेमचंद की ओर से अपने सशपथ न्यायालय बयानों में प्रिया परिवार कम्पनी के संचालक व निदेशक तेजपाल नूनियां, सुरेंद्र नूनिया व महेश नूनियां के कहने पर 6800/– रूपये प्रत्येक के अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा करवा कर बॉण्ड खरीदने व तेजपाल, सुरेंद्र एवं महेश द्वारा मूल रूपये एवं लाभांश नहीं देने बाबत साक्ष्य दी है। जिरह में गवाहान ने सभी निदेशक को नहीं जानने एवं आज तक मिलने के तथ्य से इनकार किया है। कम्पनी के निदेशकों में केवल तेजपाल एवं सुरेंद्र को पहचानने व मिलने बाबत कथन करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 09 विजय सिंह ने राशि कर्मचारी नरेंद्र सिंह को जमा करवाने एवं रसीद पत्रावली में जमा नहीं करने बाबत कथन किए हैं। गवाहान की ओर से मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताया है लेकिन गवाह की ओर से राशि जमा करवाए जाने के संबंध में किसी भी रूप में कोई भी दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है जिसके आधार पर मौखिक कथन स्वीकार योग्य माना जाये कि उनकी ओर से कोई राशि प्रिया परिवार कम्पनी में जमा करवाई गई। स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 09 विजय सिंह जिरह में राशि नरेंद्र सिंह को दिया जाना बताता है जो कि स्वीकृत रूप से गवाह की साक्ष्य को संदिग्धता प्रदान करता है

क्योंकि गवाह मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताता है। इसके अतिरिक्त गवाहान की ओर से न केवल अपनी मुख्य परीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, बल्कि ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि इन गवाहान की ओर से अपने साथ हुई घटना/धोखाधड़ी बाबत कोई रिपोर्ट पेश की गई हो। गवाहान द्वारा इस तथ्य को जिरह में स्वीकार किया गया है कि वे कभी अभियुक्त महेश कुमार से नहीं मिले हैं एवं अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान के साथ कोई प्रवंचना कारित हुए उन्हें लालच व प्रलोभन देकर उनकी राशि हड़प कर उनके साथ धोखाधड़ी कारित की गई हो। इस प्रकार जब गवाहान अभियुक्त महेश कुमार से मिलने एवं जानने तक के तथ्य से इनकार करते हैं, वहां अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर उक्त गवहान से कोई राशि प्राप्त की गई हो यह तथ्य अपने आप में विश्वास योग्य नही रह जाता है।

21. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 02 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 05 अंकित, पी.डब्ल्यू. 06 मनोहर लाल शर्मा, पी.डब्ल्यू. 08 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 10 रमाकांत, पी.डब्ल्यू. 13 बनारसी, पी.डब्ल्यू. 14 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 17 सौरभ शर्मा भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने किसी रूप से अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया है। शेष समस्त गवाह औपचारिक प्रकृति के है।

22. उपरोक्त विवेचनानुसार किसी भी रूप मे अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित करते हुए राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है।

<u>–आपराधिक न्यास भंग का तथ्य–</u>

23. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें परिवादिया एवं शेष गवाहों की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जब अभियुक्त महेश कुमार द्वारा राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है, वहां अभियुक्त

Authenticated Document

द्वारा न्यस्त राशि के दुर्विनियोग का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

–आपराधिक षंडयत्र का तथ्य–

24. आपराधिक षड़यंत्र के अपराध के संबंध में अभियोजन को स्पष्टता के साथ यह साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर परिवादिया व अन्य गवाहों को प्रवंचित करने के लिए आपराधिक षड़यंत्र कारित किया। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादिया द्वारा अपने परिवाद में नामित अभियुक्त नम्बर 1 महेश कुमार एवं अभियुक्त नम्बर 2 महिपाल के कहने पर अपने व पुत्रों के कुल 35,400/– रूपये महेश द्वारा प्राप्त किए जाने एवं महिपाल द्वारा रसीद दिये जाने बाबत तथ्य दर्शित किए हैं, परंतु परिवादिया ने अपनी साक्ष्य में स्पष्टता के साथ अभियुक्त महेश कुमार को पैसे नहीं दिए जाने और अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। परिवादिया अपने शपथ बयानों में भी अभियुक्त महेश कुमार की अपराध में संलिप्तता के संबंध में कोई कथन नहीं कर रही है। इस प्रकार जब परिवादिया अपने सशपथ कथनों में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र के संबंध में कोई तथ्य दर्शित नहीं कर रही है, वहां किसी भी रूप में यह तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त की ओर से आपराधिक षंडयत्र कारित किया गया। अन्य गवाहों की साक्ष्य से प्रवंचना का तथ्य साबित नही है, वहां उनकी साक्ष्य से आपराधिक षंडयत्र का तथ्य भी साबित हुआ नही माना जा सकता है।

–धन परिचालन स्कीम को संपरिवर्तित/संचलित करना, सामग्री का प्रकाशन आदि व इस हेतु निदेशक का दायित्व–

25. अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के संबध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 18 गणेश नाथ द्वारा अपने सशपथ कथनों में धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम,

1978 के तहत अपराध प्रमाणित माने जाने के संबंध में कथन किए हैं। धारा 3 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत कोई व्यक्ति इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन नहीं करेगा या ऐसी किसी चिट या स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं करायेगा या उसमें अन्यथा भाग नहीं लेगा या ऐसी चिट स्कीम के अनुसरण में कोई धन प्राप्त नहीं करेगा या प्रेषित नहीं करेगा। इस धारा के तहत अपराध के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी चिट या स्कीम को संचालित करे या कराए या उसमें सदस्य के रूप में भाग ले या कोई धन प्राप्त करे या कराए। परिवादी व अन्य गवाहों के शपथ कथन पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में प्रवंचना के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां ऐसे कथनों के आधार पर किसी रूप में यह तथ्य भी साबित हुआ नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन किया हो। जब अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन करना या करवाना साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा कोई धन प्राप्त करना या करवाना या ऐसी किसी स्कीम में शामिल होने का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

26. अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 18 गणेश नाथ व पी.डबल्यू 20 भंवरलाल सिसोदिया ने दौराने अनुसंधान कम्पनी से संबंधित दस्तावेज व बॉण्ड शामिल पत्रावली किये जाने बताये है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं होता जो दस्तावेज व बॉण्ड अनुसंधानकर्ता की ओर से शामिल पत्रावली किये गये है, वह दस्तावेज व बॉण्ड किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तैयार किया गया हो या उसका प्रकाशन अभियुक्त महेश कुमार की ओर से किया गया हो या दस्तावेज व बॉण्ड अभियुक्त द्वारा जारी किया गया हो।

27. जब अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम के रूप में कोई दस्तावेज तैयार किया गया हो, वहां किसी भी रूप में यह

नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम हेतु कोई दस्तावेज तैयार किए गए हो।

28. अनुसंधानकर्ता की ओर से किसी भी रूप में कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया गया है। दौराने अनुसंधान कम्पनी को नामित करते हुए अपराध प्रमाणित पाया हो, ऐसा कोई तथ्य अनुसंधानकर्ता की ओर से दर्शित नहीं किया गया है, अभियुक्त द्वारा परिवादी व अन्य सदस्यगण को इनामी चिट फण्ड आदि के लिए प्रेरित करने का कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की स्कीम का प्रकाशन संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है, वहां किसी रूप में कम्पनी के निदेशक या अन्य प्राधिकार के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं माना जा सकता।

- निष्कर्ष-

29. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि क्या अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 15.12.2008 को मौजा नवलगढ़ में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में कुल 35,400/- रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया एवं अभियुक्त ने प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज

छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया हो। लिहाजा अभियुक्त महेश कुमार को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

30. परिणामतः अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी नूनियां गोठड़ा, थाना बगड़, जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर बी 122 गंगासागर कॉलोनी, वैशाली नगर, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर शहर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध अंतर्गत धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

31. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

YOGESH KUMAR
Digitally signed by YOGESH KUMAR

Authenticated Document